UPGB120001882011

न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, जेवर, गौतमबुद्धनगर

उपस्थितः सूर्या चौहान (उ०प्र० न्यायिक सेवा)
J.O.CODE-UP3420

Presented on : 14-09-2011
Registered on : 29-05-2018
Decided on : 05-08-2026
Duration : 14 Years, 10 Months, 22 Days

दाण्डिक वाद सं.-1823/2011

सरकारः
राज्य सरकार
द्वारा पुलिस थाना रबूपुरा, जिला गौतमबुद्धनगर।

.................अभियोजन।

बनाम

1. नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व० पूरन सिंह,
2. ललित उर्फ रनवीर पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह,
3. कपिल पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह,
निवासीगण–ग्राम बीरमपुर, थाना रबूपुरा, जिला गौतमबुद्धनगर।

.................अभियुक्तगण।
मु०अ०सं०-130/2011
धारा-325, 504, 506 भा०दं०सं०
थाना-रबूपुरा, जिला-गौतमबुद्धनगर।

निर्णय

1) अभियुक्तगण नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व० पूरन सिंह, ललित उर्फ रनवीर पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह व कपिल पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह के विरुद्ध मु०अ०सं०–130/2011, धारा–325, 504, 506 भा०दं०सं० का विचारण पुलिस थाना–रबूपुरा, जिला–गौतमबुद्धनगर द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर इस न्यायालय में संस्थित किया गया है।

2) संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि मैं किरन देवी पत्नी साहब सिंह गांव बीरमपुर थाना रबूपुरा जिला गौतमबुद्धनगर की रहने वाली हूँ। सुबह दिनांक 29.06.2011 को नेत्रपाल सिंह भूतपूर्व प्रधान ने मेरी इज्जत पर हमला किया। मेरे विरोध करने पर नेत्रपाल सिंह व उसके पुत्र ललित व कपिल ने मेरे हाथ पकड़े व

Digitally signed by SURYA CHAUHAN
Date: 2026.08.05 16:40:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नेत्रपाल ने मेरे मुँह में पेपसी की बोतल घूस दी जिससे मेरे मुँह में काफी चोट लगी तथा दो दांत भी टूट गये। यह घटना सुबह 4 से 5 बजे की है। उसके बाद उसके बेटों ने मेरे साथ धक्का मुक्की करी और धमकी दी तुम्हें हम घर से बाहर निकाल देंगे तथा हमको कहा कि अगर पुलिस कार्यवाही की तो जान से मार देंगे। अगर आगे भी कोई जानमाल की हांनि होती है तो उसकी जिम्मेदारी नेत्रपाल की होगी।

3) दौरान विवेचना विवेचक ने घटनास्थल का नक्शा–नजरी बनाया व गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा 161 सी.आर.पी.सी. अंकित किये तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध संख्या–130/2011, अन्तर्गत धारा–325, 504, 506 भा०दं०सं० में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, तदोपरान्त न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।

4) अभियुक्तगण न्यायालय में उपस्थित आये और अपनी–अपनी जमानत करायी। तदोपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा– 325, 504, 506 भा०दं०सं० में **दिनांक 18.09.2015** को आरोप विरचित किया गया जिसमें अभियुक्तगण द्वारा उक्त अभियोग को झूंठा व रंजिशन चलना बताकर आरोप से इंकार कर विचारण की मांग की गयी है। अभियोजन पक्ष ने अपने कथन के समर्थन में **पी.डब्लू.–1 श्रीमती किरन देवी (वादी मुकदमा), पी.डब्लू.–2 श्री साहब सिंह, पी.डब्लू.–3 डॉ० सुजाता वर्मन डेन्टिस्ट, पी.डब्लू.–4 डॉ० श्री पवन कुमार व पी.डब्लू.–5 कॉ० 297 सुरेन्द्र सिंह** को परीक्षित किया। अभियोजन को अपने अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु कई बार अवसर प्रदान किये गये परन्तु न तो अभियोजन अन्य साक्षीगण न्यायालय में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित आये और न ही न्यायालय द्वारा निर्गत सम्मन न्यायालय वापस प्रेषित किये गये है। मामला 2011 की घटना से संबंधित है जिस कारण यह मुकदमा 15 वर्ष पुराना है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद का स्पष्ट निर्देश है कि प्राचीनतम वादों को प्राथमिकता के तौर पर अतिशीघ्र निस्तारित किया जाये। जिसके उपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2026 को अभियोजन को विभिन्न अवसर प्रदान किये जाने उपरांत न्यायाहित में साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया। अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के उपरान्त अभियुक्तगण के **बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० दिनांक 26.05.2026** को अंकित किये गये। अभियुक्तगण द्वारा घटना से इंकार किया गया एवं सफाई साक्ष्य देने से मना किया गया और कथन किया गया कि हमने कोई मारपीट, गाली–गलौज और धमकी नहीं दी। सभी के बयान जिन्होंने हमारे विरूद्ध दिये हैं, झूठे हैं। मुकदमा झूठा है।

5) अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को साबित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित अभियोजन साक्षी को परीक्षित कराया गया है–

<u>Chart for Prosecution Witnesses Examined</u>

अभियोजन साक्षी सं०	साक्षी का नाम	विवरण
पी०डब्लू०–1	श्रीमती किरन देवी	वादी मुकदमा
पी०डब्लू०–2	श्री साहब सिंह	पीड़ित का पति (चश्मदीद गवाह)
पी०डब्लू०–3	डॉ० सुजाता सिंह	चिकित्सक साक्षी
पी०डब्लू०–4	डॉ० पवन कुमार	चिकित्सक साक्षी
पी०डब्लू०–5	कॉ० 297 सुरेन्द्र सिंह	तहरीर लेखक

6) अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं–

<u>Chart for Exhibited Documents</u>

प्रदर्श संख्या	**प्रदर्श का विवरण**	**जिसके द्वारा सत्यापित किया गया**
प्रदर्श क–1	तहरीर	पी०डब्लू० 1 किरन देवी
प्रदर्श क–2	मेडिकल रिपोर्ट	पी०डब्लू० 3 डॉ० सुजाता वर्मन
प्रदर्श क–3	मेडिकल रिपोर्ट–1	पी०डब्लू० 4 डॉ० पवन कुमार
प्रदर्श क–4	मेडिकल रिपोर्ट–2	पी०डब्लू० 4 डॉ० पवन कुमार
प्रदर्श क–5	मेडिकल रिपोर्ट–3	पी०डब्लू० 4 डॉ० पवन कुमार
प्रदर्श क–6	चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी०डब्लू० 5 कॉ० 297 सुरेन्द्र सिंह
प्रदर्श क–7	जी.डी. नकल	पी०डब्लू० 5 कॉ० 297 सुरेन्द्र सिंह

7) प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–1 श्रीमती किरन देवी (वादी मुकदमा)** ने सशपथ बयान दिया कि, "घटना दिनांक 29.06.2011 सुबह करीब 4–5 बजे के बीच मेरे घर के बरामदे में घटी थी। घटना के समय अभियुक्त नेत्रपाल ने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे कपड़े फाड़ दिये। मेरे मुंह में पेपसी की बड़ी वाली बोतल घुसेड़ दी थी जिससे मेरे आगे के दो दांत टूट गये। जब मैंने शोर मचाया तो नेत्रपाल के दोनों पुत्र मुल्जिमान ललित व कपिल भी आ गये। मेरे दोनों हाथ पकड़ लिये और धक्कामुक्की की। फिर मेरे पति साहब सिंह भी मौके पर आ गये थे और मुझे बचाया। मुल्जिमान ने मुझे गंदी–गंदी गालियां देते हुए धमकी दी कि यदि तुम थाने जाओगी तो तुम्हारा कत्ल कर देंगे। घटना के बाद मैं कई बार थाने गयी, रिपोर्ट लिखाने के लिए, पुलिस से प्रार्थना की। लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी, फिर मैं थक हारकर पुलिस कप्तान साहब से मिली तब थाने वालों ने मेरी रिपोर्ट दिनांक 17.07.2011 को लिखी थी। मेरा मेडिकल रबूपुरा के सरकारी अस्पताल व नोएडा में हुआ था। तहरीर सूचना मेरे सामने संलग्न पत्रावली है। गवाह को पढ़कर सुनायी गयी तो गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर सूचना है जो मैंने अपने पति से लिखवाकर दी थी। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। रिपोर्ट लिखे जाने के बाद दरोगा जी आये थे, मेरे बयान लिया था। मैंने उन्हें घटना स्थल दिखाया था।"

8) **पी.डब्लू.–1 किरन देवी (वादी मुकदमा)** ने अपनी जिरह में कहा कि, "मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं दसवीं पढ़ी लिखी हूँ। मैं पहले गुड़गांव रहती थी, उससे पहले बीरमपुर में रहते थे। यह कहना सही है कि मेरे पति साहब सिंह व नेत्रपाल के बीच मकान व कृषि भूमि को लेकर मुकदमा चल रहा है। इसी बात को लेकर मुल्जिमान से हमारा मनमुटाव व रंजिश चली आ रही है। यह कहना सही है कि हमारा मकान व कृषि भूमि के बंटवारे को लेकर नेत्रपाल आदि से कई बार कहासुनी हो चुकी है। इससे पहले भी एक–दो बार मारपीट हो चुकी है। जिसकी मैंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। एफ.आई.आर. थाने पर बैठकर लिखी थी। जो मेरे पति ने लिखी थी। इसमें जान से मारने की धमकी व गाली–गलौज लिखा था। जो मुझे पढ़कर सुनाया था। फिर बाद

में मैंने हस्ताक्षर किये थे। यह कहना सही है कि एफ.आई.आर. में गाली–गलौज शब्द नहीं आया है। यह कहना सही है कि घटना के समय मेरे पति जंगल में शौच के लिए गये थे। मैंने घटना वाले दिन थाने में तहरीर दी थी। जिसकी फोटोकॉपी मैंने पत्रावली पर दाखिल नहीं की है। यह कहना सही है कि एफ.आई.आर. में देरी का कारण अंकित नहीं है। मैंने 29.06.2011 को मैंने अपना ईलाज कराया था जो फाईल पर दाखिल नहीं किया है। घटनास्थल के पूरब में छोटेलाल का मकान, पश्चिम में बाबू का मकान, उत्तर में खाली पड़ा है जो नेत्रपाल व हमारी है। दक्षिण मैं खाली पड़ी है। घटना का समय मुझे नहीं पता फिर कहां कि 4–5 बजे का होगा। घटना के समय कोई भी गांव का आदमी नहीं आया था। झगड़ा 15 मिनट तक चला था। मेरे साथ लगातार 15 मिनट तक मारपीट चली थी। मेरे घर वाले मुझे बचाने के लिए आ गये थे। झगड़े के 10 मिनट बाद मेरे पति आ गये थे। मेरे दांतों मैं पायरियां की बीमारी नहीं है। यह कहना सही है कि घटना के 20 दिन बाद लिखी गयी थी यह झगड़ा दोनों के घर के सामने हुआ था। मैंने रिवेन्यू कोर्ट में एक मुकदमा नेत्रपाल के विरूद्ध मेरे पति ने डाला है। यह कहना गलत है कि राजस्व के मुकदमें में बैनामें के लिए पंजीकृत कराया गया हो। मैंने अपनी डॉक्टरी दिनांक 19.07.2011 को करायी थी। डॉक्टरी के समय खून नहीं बह रहा था। मेरे 6–7 चोटें आयी थी। यह कहना गलत है कि मेरी चोटें फर्श पर गिर जाने के कारण आयी थीं। पुलिस कप्तान साहब के यहां जाने के बाद आयी थी कब आयी मुझे नहीं पता। पुलिस मेरे बयान लेकर वापस चली गयी। पुलिस के बयान होने के 1–2 मगिने बाज मैं गुड़गांव चली गयी थी। दिनांक 29.06.2011 में मेरी एफ.आई.आर. दर्ज हुई उसी दिन में कप्तान साहब के यहां गयी थी। उस दिन पुलिस वालों ने मेरा बयान नहीं लिया था। पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज होने के कितने दिन बाद लिया यह मुझे याद नहीं है। दरोगा जी एफ.आई.आर. दर्ज होने के दो दिन बाद आ गये थे। मेरे पति ने एस.एस.पी. को किस तारीख को प्रार्थना पत्र दिया था मुझे याद नहीं है। ललित, कपिल ने मेरे साथ मारपीट की थी तथा मेरे साथ धक्कामुक्की की थी। कपिल व ललित ने मेरे साथ लात घूंसें व थप्पड़ नहीं मारे थे। धक्कामुक्की में, मैं नीचे नहीं गिरी थी। मैं अपने पति के साथ थाने गयी थी। मैंने पेपसी की बोतल जो मेरे मुंह में डाली थी वह दरोगा जी को नहीं दी थी। टूटे हुए दांत दरोगा जी ने मुझेस मांगे थे याद नहीं और न ही मैंने दिये थे। बोतल व टूटे दांत की फर्द दरोगा जी द्वारा बनायी या नहीं मुझे नहीं पता। यह कहना गलत है कि मैं एक बुजर्ग महिली हूँ जिस कारण दांत मेरे झड़कर गलकर टुटकर गिर गये हो। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुयी।"

9) प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–2 साहब सिंह** ने सशपथ बयान दिया कि, "घटना दिनांक 29.06.2011 की है। समय सुबह लगभग पांच बजे की घटना है। मैं शौच के लिए गया था उसके बाद मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के साथ नेत्रपाल व कपिल तथा ललित ने झगड़ा किया था। झगड़े के बाद मैं वापिस आया मैंने देखा कि मेरी पत्नी के हाथ ललित व कपिल ने पकड़ रखे थे। नेत्रपाल से लैटरीन की बोतल (पैप्सी की बोतल) मेरी पत्नी के मुंह में ठूस दी थी। जिससे उसके दांत टूट गये थे। कई दांत टूट गये थे। मेरी पत्नी का मुंह खून से लथपथ हो गया था। मुझे देखकर ये लोग भाग गये थे। जाते समय ये लोग कह रहे थे कि हम तुम्हें यहां नहीं रहने देंगे और यदि पुलिस में गया तो जान से मार देंगे।"

10) **पी.डब्लू.–2 साहब सिंह** ने अपनी जिरह में कहा कि, "मैं पांच बजे से पहले शौच के लिए गया था करीब आधार घंटा पहले गया था मेरे घर में उस समय शौचालय नहीं बना हुआ था। मैं घर से करीब 150 मीटर दूरी पर शौच करने गया था। मैंने 150 मीटर दूरी से ही झगड़े की बात सुन ली थी। मैंने 150 गज दूर से झगड़े की आवाज सुनी तो मैं वहां से शौच करके चला था तब तक मुल्जिमान वहां से भागे नहीं थे। पैप्सी की बोतल मेरे सामने मुंह में डाली थी 161 सी.आर.पी.सी. के बायन बोतल मुंह में नेत्रपाल ने ठूस रखी थी। यह बात सही है कि बोतल मेरे सामने डालने वाली बात गलत है। बोतल डालने से घाव हुआ था। स्वयं कहा कि मुंह सूज गया था और दांत टूट गये थे। मुझे नहीं पता कि डॉक्टरी में घाव आया है अथवा नहीं आया है। उस समय अंधेरा नहीं था। प्रश्न– सुबह 4.00 बजे अंधेरा था? उत्तर– उस समय दिन निकलने वाला था। उस समय उजाला था। घटनास्थल के पूरब में रोड है और रोड के बाद मकान है। पश्चिम में अभियुक्तगण का मकान है। उत्तर में खाली है। दक्षिण दिशा में राजेन्द्र, देवेन्द्र का मकान है। मैं लगभग 5.15–5.30 बजे घर पर पहुंचा था। झगड़ा करीब 1/2, पौन घंटा कहासुनी, बकवास वाकी चली थी। हमारा इन लोगों से जमीनी विवाद चल रहा है। यह कहना गलत है कि मैंने जमीनी विवाद के कारण झूठा मुकदमा लिखाया है। झगड़े के समय गांव अथवा आस–पड़ौस का कोई व्यक्ति नहीं आया था। घटनास्थल के पास में दो–तीन व्यक्तियों के मकान हैं। उन्होंने झगड़े का आवाज सुनी होगी लेकिन कोई आया नहीं। धक्कामुक्की हुई थी। मेरी पत्नी नीचे गिर गयी थी। लेकिन जिससे कोई चोट नहीं आयी थी। मेरी पत्नी के चोटें आयी थी। मैंने लिखित रूप में थाने में तहरीर दी थी। 29.06.2011 को मैंने थाने में रिपोर्ट की थी। मैं गुड़गांव में रहता था अब मैं गांव में रहता हू। अब मैं वहां पहुंचा तो मुझे देखकर मुल्जिमान भाग गये थे। मैं गुड़गांव में 1981 से 2009 तक रहा था। घटना मेरे सामने ही घटित हुई थी। मैं 5–6 मीटर दूर था जब ये लोग गाली–गलौज देते हुए भाग रहे थे। यह कहना गलत है कि मैंने कोई घटना न देखी हो और मैं न्यायालय में झूटी गवाही दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने अपनी घटना का फर्जी डॉक्टरी मुआयना कराकर दाखिल किया हो। यह कहना गलत है कि घटना वाले दिन कपिल व ललित मौजूद नहीं थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज होने का कारण एस.एच.ओ. को पता है। मुझे पता नहीं है। यह कहना गलत है कि मैंने नेत्रपाल के हिस्से की जमीन को हड़प लिया हो। यह कहना सही है कि मेरी व नेत्रपाल सिंह की बहुत दिनों से रंजिश चल रही है। मेरी पत्नी को पारिस की बीमारी नहीं थी। यह कहना गलत है कि मेरी पत्नी के दांत सड़े गले थे। यह कहना सही है कि मेरी अनुपस्थिति में नेत्रपाल, कपिल, ललित ने झगड़ा किया था। यह कहना गलत है कि मैंने कपिल से एक लाख रुपये उधार लिया था। रुपया मांगने पर झूठा मुकदमा लिखवा दिया।"

11) प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–3 डॉक्टर सुजाता वर्मन** ने सशपथ बयान दिया कि, "दिनांक 21.07.2011 को मैं दंत चिकित्सक के पद पर जिला अस्पताल गौतमबुद्धनगर में तैनात थी। इसी दिन मेरे पास किरन नामक महिला मेडिकल के लिए आयी थी। जिसका मेडिकल मेरे द्वारा किया गया था। चोटों को एम.एल.सी. में दर्ज किया गया था। मेरे द्वारा तैयार की गयी एम.एल.सी. पत्रावली पर मेरे सामने मौजूद है। जिस पर मैं अपने हस्ताक्षर को मैं तस्दीक करती हूँ। मेडिकल रिपोर्ट पर **प्रदर्श क–2** अंकित किया गया है। मेरे द्वारा

मेडिकल में पीड़िता के नीचे के दो दांत गायब पाये गये जो पहले से ही टूटे थे। मुंह के आसपास चोट के कोई अन्य निशान नहीं थे और ना ही खून निकल रहा था।"

12)**पी.डब्लू.–3 डॉक्टर सुजाता वर्मन** ने अपनी जिरह में कहा कि, "मैं सही समय नहीं बता सकती कि किरनवती किस समय मेरे पास मेडिकल हेतु पहुंची थी। किरनवती मेरे पास मेडिकल हेतु दिनांक 27.11.2011 को पहुंची थी। किरनवती की आयु 35 या 40 वर्ष रही होगी। किरनवती जब मेडिकल के लिए आयी थी तो किरनवती के मुंह से कोई खून नहीं निकल रहा था। जब मैंने किरनवती का मेडिकल परीक्षण किया तो किरनवती के दांत पहले से ही टूटे हुए लग रहे थे। मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकती कि ये दांत कितने समय पहले के टूटे हुए थे। यह कहना गलत है कि मैंने वादिनी किरनवती से साझ करके झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनायी हो।"

13)अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–4 डॉ० पवन कुमार** ने सशपथ बयान दिया कि, "दिनांक 19.07.2011 को मेरी पी.एच.सी. रबूपुरा पर तैनाती थी। उस दिन मेरे समक्ष अमकेश कुमार थाना रबूपुरा–1402 के द्वारा किरन देवी–52 पत्नी साहब सिंह निवासी बीरमपुर थाना रबूपुरा गौतमबुद्धनगर को सुबह 10.00 बजे मेरे समक्ष मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया। किरनदेवी के मेडिकल परीक्षण जो कि मेरे द्वारा अंकित किया गया है जिसके अनुसार किरन देवी के चोटें थी जो निम्न प्रकार थी 1. काला नीला निशान (नीलगू) बांयी तरफ के आन्तरिक जबड़े पर चोट का नाम 1.5 सेमी.*1.00 सेमी. का था म्यूकोजा पर था। ऐसा ही निशान उसके सीधे तरफ भी था। इसके अलावा निचले जबड़े के बीच वाली दांत गायब थी। उस पर कोई खून का निशान या थक्का मौजूद नहीं था। इसके अलावा मरीज को खाना निगलने में परेशानी थी। उपरोक्त दो चोटों के लिए डेन्टल और E.N.T चिकित्सक के पास विशेषज्ञ राय के लिए भेजा गया। चोट का समय 48 से 72 घंटे से ज्यादा का होना चाहिए। मेरे द्वारा तैयार की गयी मेडिकल रिपोर्ट–3 वर्क पत्रावली पर मौजूद है। जिन पर क्रमशः मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की तस्दीक करता हूँ। जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5** डाला गया। घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा बयान दर्ज किया।"

14)**पी.डब्लू.–4 डॉ० पवन कुमार** ने अपनी जिरह में कहा कि, "किरन देवी जब मेरे पास पहुंची उस समय करीब 10.00 बजे थे। चोटों से कोई खून नहीं निकल रहा था। बस थोड़ा ओबरेजन था। गिरने से भी चोटें आ सकती हैं। किरनवती के साथ एक पुलिस वाला आया था और कौन आया था मैं नहीं बता सकता। मैंने चोट नं० 4 ई.एन.टी. के लिए रेफर किया था। पत्रावली गवाह को दिखाने पर ई.एन.टी. की कोई रिपोर्ट नहीं थी। मेडिकल के समय किरन देवी की उम्र करीब 52 साल थी। मैंने यह मेडिकल 19.07.2011 को किया था। ये सारी चोटें साधारण थी कोई गंभीर चोट नहीं थी। ये चोटें 3 से 4 दिन पुरानी थी। ये चोटें लगभग 5–7 दिन पुरानी हो सकती है। मेरे लिए यह बताना संभव नहीं है कि ये चोटें एक्जेक्टली कितनी पुरानी है। इसलिए मैंने डेन्टल के लिए रेफर किया था। मैंने न्यायालय में जो डेन्टल का बयान हुआ है वह मैंने नहीं पढ़ा है। यह कहना गलत है कि किरन देवी को कोई चोटें नहीं आयी थी और यह चोटें मैंने फर्जी लिखवायी है। यह कहना गलत है कि मेरे पास पुलिस द्वारा कोई मजरूबी चिट्ठी ना भेजी हो। यह कहना गलत है कि मैं आज

न्यायालय में झूठा बयान दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने किरन देवी से साज करके फर्जी मेडिकल बनाया है।"

15)प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी.डब्लू.–5 कॉ० 297 सुरेन्द्र सिंह (सेवानिवृत्त)** ने सशपथ बयान दिया कि, "दिनांक 17.07.2011 को मैं थाना हाजा पर श्रीमती किरन देवी पत्नी श्री साहब सिंह ठाकुर निवासी बीरमपुर की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण नेत्रपाल सिंह, ललित और कपिल के विरूद्ध मु०अ०सं 130/2011 धारा 354, 504, 5406 भा०दं०सं० पंजीकृत हुआ था। मेरे द्वारा वादिनी की तहरीर की नकल चिक पर शब्द व शब्द अंकित की गयी थी। चिक एफ.आई.आर. मेरे लेख व हस्ताक्षर में पत्रावली पर मौजूद है। चिक एफ.आई.आर. पर प्रदर्श क–6 डाला गया। मुकदमा कायमी का खुलासा मेरे द्वारा जी.डी. में नकल रपट 28 समय 15.30 बजे दिनांक 17.07.2011 को किया गया था। जी.डी. की प्रति मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया।"

16)**पी.डब्लू.–5 कॉ० 297 सुरेन्द्र सिंह (सेवानिवृत्त)** ने अपनी जिरह में कहा कि, "तहरीर लेकर थाने में श्रीमती किरन देवी आयी तो किरन देवी 17.07.2011 में मेरे पास आयी थी। मेरा काम केवल तहरीर पर मुकदमा दर्ज करना है। बाकी सारा कार्य विवेचक का है। तहरीर देरी से देने का कोई कारण मैंने नहीं पूछा था। मैं न्यायालय में जी.डी. की असल कॉपी लेकर नहीं आया हूँ। मुझे जानकारी है कि जी.डी. की फोटोकॉपी भी साक्ष्य में पढ़ी जाती है। जी.डी. जो दिनांक 17.07.2011 की है उस पर कोई थाने की मोहर भी नहीं है। तहरीर मुझे थाने पर 13.30 पर मिली थी फिर कहा 15.30 बजे पर मिली थी। जब ये थाने आयी थी ना तो इनके खून निकल रहा था न ही कोई गंभीर चोट थी। इसके मुंह के अन्दर चोट थी दिखायी नहीं दे रही थी। यह कहना गलत है कि किरन देवी थाना रबूपुरा पर नहीं आयी थी और मैंने झूठा मुकदमा लिखा दिया हो। यह कहना गलत है कि किरन देवी जब थाने आयी थी उनके कोई जायरा चोट दिखायी नहीं दे रही थी। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।

17)अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। अतः उन्हें दोषमुक्त किया जाये। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस वाद में दोषसिद्धि सुरक्षित प्रतीत नहीं होती। अभियोजन के मामले में अनेक महत्वपूर्ण संदेह एवं विरोधाभास हैं, जिनके कारण अभियोजन अपना मामला संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

18)अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित रहे। मैंने बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया।

19)अभियुक्तगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325, 504 एवं 506 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये हैं। मामले के तथ्यों पर विवेचन से पूर्व आरोपित धाराओं का अवलोकन आवश्यक है। धारा 325 भा.दं.सं. के अन्तर्गत अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया ऐसी चोट कारित की गयी जिससे धारा 320 भा.दं.सं. में परिभाषित "गम्भीर उपहति (Grievous Hurt)" हुई हो। धारा 504 भा.दं.सं. के लिए यह सिद्ध होना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा जानबूझकर ऐसा अपमान किया गया जिससे लोक शान्ति भंग होने के लिए उद्दीपन

हुआ हो। धारा 506 भा.दं.सं. के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा ऐसी आपराधिक धमकी दी गयी जिससे परिवादी के मन में भय उत्पन्न हुआ। इन सभी अपराधों का प्रमाण अभियोजन को संदेह से परे स्थापित करना है।

20) वर्तमान प्रकरण में घटना दिनांक 29.06.2011 की बतायी गयी है जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17.07.2011 को लगभग 18 दिन पश्चात दर्ज हुई। यद्यपि पीड़िता ने यह कहा है कि उसने पूर्व में भी थाना पर शिकायत की थी तथा पुलिस अधीक्षक से मिलने के पश्चात रिपोर्ट दर्ज हुई, परंतु अभियोजन द्वारा ऐसी किसी प्रारम्भिक शिकायत अथवा पुलिस अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी विलम्ब का कोई कारण अंकित नहीं है।

21) अभियोजन का मुख्य आरोप वादिनी द्वारा साबित की गई तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार यह है कि अभियुक्तगण ललित व कपिल पुत्रगण नेत्रपाल ने दिनांक 29.06.2011 की सुबह वादिनी मुकदमा किरण देवी के हाथ पकड़े व अभियुक्त नेत्रपाल सिंह ने पीड़िता के मुंह में पेप्सी की बोतल जबरन डाल दी जिससे उसके दो दांत टूट गये। यदि घटना अभियोजन के कथनानुसार घटित हुई है तो सामान्यतः मुंह, होंठ अथवा मसूड़ों पर ताजा रक्तस्राव अथवा अन्य गंभीर बाह्य चोटें अपेक्षित थीं। अभियोजन का कथन है कि अभियुक्त नेत्रपाल ने पीड़िता के मुंह में पेप्सी की बोतल घुसा दी जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ तथा दो दाँत टूट गये। यदि वास्तव में ऐसी गंभीर घटना घटित हुई है तो सामान्य मानवीय आचरण यही अपेक्षित करता है कि पीड़िता का तत्काल चिकित्सकीय उपचार कराया गया होगा। पी.डब्ल्यू.–1 किरण देवी ने जिरह में कहा कि उसने 29.06.2011 को उपचार कराया था, किन्तु उस कथन के समर्थन में कोई पर्ची, अस्पताल का अभिलेख, दवा की पर्ची अथवा चिकित्सक प्रस्तुत नहीं किया गया। **पी.डब्लू.–4 डॉ० पवन कुमार** ने अपनी जिरह में कहा कि, "किरन देवी जब मेरे पास पहुंची उस समय करीब 10.00 बजे थे। **चोटों से कोई खून नहीं निकल रहा था। बस थोड़ा ऑबरेजन था। गिरने से भी चोटें आ सकती हैं। मैंने चोट नं० 4 ई.एन.टी. के लिए रेफर किया था। ये सारी चोटें साधारण थी कोई गंभीर चोट नहीं थी। ये चोटें 3 से 4 दिन पुरानी थी। ये चोटें लगभग 5–7 दिन पुरानी हो सकती है। मेरे लिए यह बताना संभव नहीं है कि ये चोटें एक्जेक्टली कितनी पुरानी है। कोई रक्त का थक्का नहीं था। उनके द्वारा चिकित्सीय प्रपत्र दिनांकित 19.07.2011 प्रदर्श क–3, प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 साबित किया गया है। डेन्टिस्ट पी.डब्लू.–3 डॉ. सुजाता वर्मन** ने दंत चिकित्सक प्रपत्र प्रदर्श क–2 साबित कर अपनी जिरह में कथन किया कि **किरनवती मेरे पास मेडिकल हेतु दिनांक 27.11.2011**(पी.डब्लू.3 की जिरह में दंत परीक्षण की तिथि 27.11.2011 अंकित है जो लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है क्योंकि दन्त चिकित्सक द्वारा किरण देवी का चिकित्सीय परीक्षण 21.07.2011 को किया गया है।) **को पहुंची थी। किरनवती की आयु 35 या 40 वर्ष रही होगी। किरनवती जब मेडिकल के लिए आयी थी तो किरनवती के मुंह से कोई खून नहीं निकल रहा था। जब मैंने किरनवती का मेडिकल परीक्षण किया तो किरनवती के दांत पहले से ही टूटे हुए लग रहे थे। मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकती कि ये दांत कितने समय पहले के टूटे हुए थे।** अभिलेख से स्पष्ट है कि घटना दिनांक 29.06.2011 की है परंतु प्रथम

मेडिकल 19.07.2011 को हुआ एवं दन्त चिकित्सक द्वारा किरण देवी का चिकित्सीय परीक्षण 21.07.2011 को किया गया है। अर्थात लगभग 20 से 22 दिन बाद चिकित्सीय परीक्षण हुआ है। जिससे प्रकरण की घटना दिनांक 29.06.2011 के उपरांत कोई अन्य घटना होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोजन के प्रत्यक्षदर्शी कथन को पुष्ट नहीं करता है।

22) पीड़िता ने कहा कि बोतल उसके मुंह में डाली गयी थी। किन्तु उक्त बोतल न तो विवेचना में बरामद की गयी है और न ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। स्वयं पीड़िता ने स्वीकार किया कि उसने बोतल अथवा टूटे हुए दांत पुलिस को नहीं दिये जिससे स्पष्ट है कि टूटे हुए दाँत बरामद नहीं किये गये, कथित बोतल बरामद नहीं की गयी, कोई जब्ती मेमो बनाना प्रदर्शित नहीं है और किसी प्रकार का भौतिक साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह सही है कि प्रत्येक मामले में बरामदगी का अभाव अपने आप अभियोजन को असफल नहीं बनाता है किन्तु वर्तमान मामले में जब इस तथ्य को प्रथम सूचना रिपोर्ट के अस्पष्टीकृत विलम्ब, चिकित्सीय परीक्षण में लगभग 20 दिन की देरी, तत्काल उपचार के अभाव, चिकित्सकीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य के मध्य असंगति, पक्षकारों के मध्य स्वीकारित पुरानी रंजिश के साथ समग्र रूप से पढ़ा जाता है, तब बरामदगी का अभाव अभियोजन की कहानी पर अतिरिक्त संदेह उत्पन्न करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Lakshmi Singh v. State of Bihar, (1976) 4 SCC 394, Musauddin Ahmed v. State of Assam, (2009) 14 SCC 541 तथा Vijayee Singh v. State of U.P., (1990) 3 SCC 190 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि प्रत्येक परिस्थिति का मूल्यांकन पृथक न करके समग्र रूप से किया जाना चाहिए और यदि समस्त परिस्थितियाँ मिलकर अभियोजन के संस्करण को संदिग्ध बनाती हैं तो अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसे महत्वपूर्ण भौतिक साक्ष्य का अभाव अभियोजन के मामले को और अधिक संदिग्ध बनाता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Thulia Kali v. State of Tamil Nadu, (1972) 3 SCC 393 में प्रतिपादित किया है कि "Delay in lodging the first information report quite often results in embellishment which is a creature of afterthought. On account of delay, the report not only gets bereft of the advantage of spontaneity, danger creeps in of the introduction of coloured version, exaggerated account or concocted story as a result of deliberation and consultation. It is, therefore, essential that the delay in lodging of the first information report should be satisfactorily explained.” उपरोक्त विधि अनुसार प्रश्नगत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट में अस्वाभाविक एवं अस्पष्टीकृत विलम्ब अभियोजन की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करता है क्योंकि इससे विचार–विमर्श, परामर्श एवं मनगढ़न्त कहानी गढ़े जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। The Hon'ble Court held at para, 12 (SCC P. 397): "First Information Report in a criminal case is an extremely vital and valuable piece of evidence for the purpose of corroborating the oral evidence adduced at the trial." This view has been upheld by the Hon’ble Supreme Court in the case of *Jafrudheen v. State of Kerala* on 22.04.2022. इसी प्रकार Dilawar Singh v. State of Delhi, (2007) 12 SCC

641 के पैरा 8 में कहा गया कि "In criminal trial one of the cardinal principles for the Court is to look for plausible explanation for the delay in lodging the report. Delay sometimes affords opportunity to the complainant to make deliberation upon the complaint and to make embellishment or even make fabrications. Delay defeats the chance of the unsoiled and untarnished version of the case to be presented before the Court at the earliest instance. That is why if there is delay in either coming before the police or before the Court, the Courts always view the allegations with suspicion and look for satisfactory explanation. If no such satisfaction is formed, the delay is treated as fatal to the prosecution case." उपरोक्त विधि व्यवस्था के आलोक में यह स्पष्ट है कि यदि विलम्ब का संतोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध न हो तो न्यायालय को अभियोजन साक्ष्य का अधिक सावधानी से परीक्षण करना चाहिए। इतनी लम्बी एवं अस्पष्टीकृत देरी अभियोजन संस्करण की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

23) पी.डब्लू.–1 के अनुसार घटना के समय उसका पति शौच के लिए गया हुआ था तथा लगभग दस मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचा। दूसरी ओर पी.डब्लू.–2 ने एक स्थान पर कहा **कि घटना उसकी अनुपस्थिति में हुई, किन्तु बाद में कहा कि उसने अपने सामने अभियुक्त नेत्रपाल को बोतल मुंह में डालते देखा**। तत्पश्चात जिरह में उसने स्वयं कहा कि **"बोतल मेरे सामने डालने वाली बात गलत है।"** इस प्रकार उसका कथन स्वयं परस्पर विरोधी है और उसकी प्रत्यक्षदर्शिता संदेहास्पद हो जाती है। यदि वास्तव में पी.डब्लू. 2 साहब सिंह जो कि पीड़िता किरण देवी का पति है, घटनास्थल पर उपस्थित था और उसकी पत्नी पर लगातार हमला हो रहा था, तो उसका किसी प्रकार की हाथापाई में सम्मिलित न होना तथा उसके शरीर पर एक भी चोट न होना सामान्य मानवीय आचरण के विपरीत प्रतीत होता है। यह परिस्थिति इस संभावना को अधिक बल देती है कि पी.डब्ल्यू.–2 घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं था जिस कारण प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य भी पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है।

24) प्रस्तुत वाद में विवेचक का परीक्षण भी नहीं कराया गया है। फलस्वरूप घटनास्थल निरीक्षण, साइट प्लान की तैयारी, कथित बोतल अथवा टूटे दाँतों की बरामदगी की कार्यवाही के दौरान किये गये प्रयास, एफ.आई.आर. में विलम्ब की जांच एवं गवाहों के धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथनों से विरोधाभास, इनमें से कोई भी तथ्य विधि अनुसार सिद्ध नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 के अन्तर्गत गवाहों के पूर्व कथनों से विरोधाभास सिद्ध करने के महत्वपूर्ण अधिकार से भी वंचित रह गया क्योंकि ऐसा विरोधाभास सामान्यतः विवेचक के माध्यम से ही सिद्ध किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने Behari Prasad v. State of Bihar, (1996) 2 SCC 317 में प्रतिपादित किया गया है कि "Hence, for non examination of Investigating Officer, the prosecution case should not fail. We may also indicate here that it will not be correct to contend that if an Investigating Officer is not examined in a case, such case should fail on the ground that the accused were deprived of the opportunity to effectively cross examine the witnesses for the prosecution and to bring out contradictions in their statements before the police." तथा Arvind Singh v. State of Bihar, (2001) 6 SCC 407 में कहा है कि प्रत्येक मामले में विवेचक का परीक्षण

अनिवार्य नहीं है, किन्तु जहाँ उसके परीक्षण न होने से बचाव पक्ष को वास्तविक प्रतिकूलता होती है अथवा विवेचना के महत्वपूर्ण पहलू सिद्ध नहीं हो पाते, वहाँ न्यायालय इस तथ्य को अभियोजन के विरुद्ध विचार में ले सकता है। प्रस्तुत मामले में विवेचक का परीक्षण न होना अभियोजन के लिए एक गंभीर कमी है।

25) पी.डब्लू.–1 एवं पी.डब्लू.–2 दोनों ने स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण एवं वादिनी मुकदमा एवं उसके पति साहब सिंह के मध्य मकान एवं कृषि भूमि को लेकर वर्षों पुराना विवाद एवं रंजिश चली आ रही थी तथा पूर्व में भी कहासुनी एवं मारपीट हो चुकी थी। यद्यपि मात्र शत्रुता से साक्ष्य अस्वीकार्य नहीं हो जाता, तथापि ऐसे मामलों में न्यायालय को साक्ष्य का अधिक सावधानी से परीक्षण करना आवश्यक होता है। वर्तमान प्रकरण में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्रत्यक्षदर्शी का अभाव है जबकि घटना आबादी वाले स्थान पर प्रातःकाल होने का दावा किया गया है।

26) अभियोजन द्वारा आरोपित धारा 325 भा.दं.सं. के लिए यह सिद्ध होना आवश्यक है कि पीड़िता को धारा 320 भा.दं.सं. के अन्तर्गत परिभाषित "गंभीर उपहति" अभियुक्तों द्वारा कारित की गयी। यद्यपि दांत का टूटना परिस्थितियों में गंभीर उपहति हो सकता है, किन्तु अभियोजन यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि उक्त दांत इसी घटना के कारण टूटे हैं। चिकित्सकीय साक्ष्य भी इस तथ्य का समर्थन नहीं करता है।

27) धारा 504 एवं 506 भा.दं.सं. के संबंध में भी अभियोजन ने केवल सामान्य आरोप लगाए हैं। कथित अपमानजनक शब्दों अथवा धमकी के प्रभाव के संबंध में कोई स्वतंत्र अथवा विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे इन धाराओं के आवश्यक अवयव संदेह से परे सिद्ध हो सकें।

28) उपरोक्त समस्त परिस्थितियों के समग्र मूल्यांकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलम्ब का संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में, घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित किये जाने में, चिकित्सकीय साक्ष्य को मौखिक साक्ष्य से संगत सिद्ध करने में, विवेचना के महत्वपूर्ण पहलुओं को विवेचक के माध्यम से सिद्ध करने में तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में,असफल रहा है। आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धान्त है कि यदि अभियोजन की कहानी से सम्बन्धित दो दृष्टिकोण सम्भव हों तो वह दृष्टिकोण स्वीकार किया जायेगा जो अभियुक्त के पक्ष में हो। Kali Ram v. State of Himachal Pradesh, (1973) 2 SCC 808 में यह प्रतिपादित किया गया है कि "It needs all the same to be re-emphasised that if a reasonable doubt arises regarding the guilt of the accused, the benefit of that cannot be withheld from the accused." तथा Sharad Birdhichand Sarda v. State of Maharashtra, (1984) 4 SCC 116 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना अनिवार्य है। State of Punjab v. Jagir Singh & ors. (1974) 3 SCC 277 में प्रतिपादित किया गया है कि "In arriving at the conclusion about the guilt of the accused charged with the commission of a crime, the court has to judge the evidence by the yardstick of probabilities, its intrinsic worth and the animus of witnesses. Every case in the final analysis would have to depend upon' its own facts. Although the benefit of every reasonable doubt should be given to the accused, the courts should not at the same time reject evidence which is ex facie trustworthy on grounds which are fanciful or in the nature of conjectures." अतः

अभियोजन, अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 325, 504 एवं 506 भा.दं.सं. के आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है। फलस्वरूप अभियुक्तगण नेत्रपाल सिंह, ललित उर्फ रनवीर तथा कपिल, धारा 325, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए, दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

आदेश

29) अभियुक्तगण नेत्रपाल सिंह पुत्र स्व० श्री पूरन सिंह, ललित उर्फ रनवीर पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह व कपिल पुत्र श्री नेत्रपाल सिंह को धारा 325, 504 एवं 506 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त (Acquitted) किया जाता है। अभियुक्तगण के जमानत प्रपत्र व बंधपत्र निरस्त किये जाते है। प्रतिभुओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

30) अभियुक्तगण अन्तर्गत धारा- 437ए द.प्र.स. के तहत 25,000/- का एक-एक व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि का एक-एक प्रतिभू एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करे। यह बन्धपत्र इस आशय का होगा कि यदि इस आदेश के विरूद्ध कोई अपील किसी न्यायालय में की जाती है तो अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके। यह बन्धपत्र निर्णय की तिथि से 6 महीने तक के लिए प्रवृत्त रहेगा। इस निर्णय की एक प्रति अभियुक्तगण को निःशुल्क प्रदान की जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनांक-05.08.2026

(सूर्या चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, जेवर
गौतमबुद्धनगर।

31) आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षारित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक-05.08.2026

(सूर्या चौहान)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, जेवर
गौतमबुद्धनगर।